

(घ) दिनांक -20.02.2024 से दिनांक -22.02.2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रवृष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जायेगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

## 15. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:-

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने JCCE-2023 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

## 16. परीक्षा का स्वरूप

16.1 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में ली जायेगी:-

(क) शारीरिक दक्षता परीक्षण

(ख) चिकित्सीय जाँच

(ग) लिखित परीक्षा

16.2 (क) शारीरिक दक्षता परीक्षण – झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति) 2014 में वर्णित प्रावधान (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) के अनुसार अधिसूचित चयन पर्सद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जायेगी जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हक (Qualifying) परीक्षा है, जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। चयन पर्सद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध करायेगा।

(ख) चिकित्सीय जाँच – मेधासूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के तीन गुणा अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जाँच के लिए किया जायेगा। चिकित्सीय जाँच झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति) 2014 में वर्णित प्रावधान (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण समिति/चिकित्सा पर्सद द्वारा की जायेगी। चिकित्सा

परीक्षा के निर्णय के विरुद्ध अपील Apex Medical Board में की जा सकती है। चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में Apex Medical Board का निर्णय अंतिम होगा। चिकित्सीय जाँच में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को चिकित्सा परीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

**(ग) लिखित परीक्षा** – शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जाँच में सफल अभ्यर्थियों की ओ. एम. आर. (OMR) आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधासूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् उन्हें Normalised अंक ही दिया जाएगा। आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधासूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अहर्तांक [यथा विवरणिका की कंडिका 17(iv)] प्राप्त करना अनिवार्य होगा। **नोट – लिखित परीक्षा के उपरान्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा।**

**16.3 लिखित परीक्षा :-** लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। दो पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे।

**(I) पत्र 1 – (क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा ज्ञान)**

हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दु / संथाली / बंगला / मुण्डारी (मुण्डा) / हो / खड़िया / कुडुख (उराँव) / कुरमाली / खोरठा / नागपुरी / पंचपरगनीया / उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के एक सौ (100) बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे। **क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-XIII** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

**नोट – पत्र – 01 में 30 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

**(II) पत्र :- 2**

इस पत्र के दो भाग होंगे। भाग-1 हिन्दी भाषा से संबंधित होगा। जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित, हिन्दी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोत्तियाँ एवं

वाक्यों का शुद्धि करण से संबंधित होंगे। भाग-2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबीलीटी (Numerical ability) से संबंधित होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटा। कुल अंक 300। (परीक्षा का स्तर-मैट्रिक)

सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहु-विकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी।

### 16.5 शारीरिक दक्षता परीक्षण :-

मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जाँच किया जायेगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका की कांडिका-06 के अनुरूप होगी।

दौड़:-

(क) पुरुषों के लिए 10 कि० मी० 60 मिनट में।

(ख) महिलाओं के लिए 05 कि० मी० 30 मिनट में।

शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रपत्र **परिशिष्ट-X** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

### 16.6 चिकित्सीय जाँच :-

- I. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जाँच जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सीय पर्षद द्वारा किया जायेगा। उक्त परीक्षण में सफल होना आवश्यक है अन्यथा चयन हेतु मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
- II. अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाइंडनेस (Colour Blindness) / रतौंधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericocele/ Hydrocele/ Piles और Any Communicable Physical/ Mental Disease आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जायेगी।

चिकित्सीय जाँच का प्रपत्र **परिशिष्ट-XI** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

**III.** चिकित्सा पर्वद द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए **Apex Medical Board**, अधीक्षक राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची द्वारा गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्वद, झारखण्ड, राँची होगा।

**Apex Medical Board** के द्वारा चिकित्सीय जाँच का प्रपत्र **परिशिष्ट—XII** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

**17. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :**

- (i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका-16.3 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के विषयों के प्राप्तांक/Normalised प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- (ii) मेधासूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् 10वीं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।
- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र-1 में अभ्यर्थियों को तीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र-1 में तीस प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जायेगा और उनके प्रश्न पत्र-2 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र-1 में सफल उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण हेतु निम्न रूपेण की जायेगी:-

30%	-	00 अंक
31%– 40%	-	01 अंक
41%– 50%	-	02 अंक
51%– 60%	-	03 अंक
61%– 70%	-	04 अंक
71%– 80%	-	05 अंक
81%– 90%	-	06 अंक
91%– 100%	-	07 अंक

(v) मेधा सूची के गठन में अधिमानता:—

(क) लिखित परीक्षा में उपर्युक्त उपकंडिका (i) में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा डिप्लोमा (Degree or Diploma) की उपाधि प्राप्त उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उन्हें आरक्षी के पद पर नियुक्ति में निम्न प्रकार 04–10 अंक तक की अधिमानता (Weightage) दी जायेगी।

Class obtained in Degree or Diploma of the Raksha Shakti University	Additional marks to be given
Distinction	10
First Class	08
Second Class	06
Pass Class	04

**नोट:—** उपर्युक्त अधिमानता झारखण्ड राज्य के उन्हीं स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी जो सुसंगत लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अहर्ताक प्राप्त किये हो तथा केन्द्र सरकार या झारखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्व विद्यालय से उत्तीर्ण हों।

(ख) विभागीय अधिसूचना संख्या-1169, दिनांक-27.02.2017 की कंडिका- 11 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-6992, दिनांक-20.10.2014 में मेधा सूची के गठन में सहायक पुलिस को निम्न प्रकार अधिमानता दी जायेगी:—

“पुलिस की नियुक्ति में सहायक पुलिस के पद पर प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 2 % अंक तथा कुल सेवा अवधि के लिए अधिकतम 10 % अतिरिक्त अंक की अधिमानता देय होगी। यह अधिमानता संबंधित जिले के नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दी जायेगी।”